रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244] नई दिल्ली, बुधवार, मई 29, 2002/ज्येष्ठ 8, 1924

No. 244] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 29, 2002/JYAISTHA 8, 1924

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2002

सा.का.नि. 389(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (i) के अनुसरण में और भारत सरकार, तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की दिनांक 6 अप्रैल, 2000 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 321 (अ) का अधिक्रमण करते हुए एतद्द्वारा निम्न तालिका के कालम (2) में उल्लिखित उन व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करती है जिन्हें कांडला पत्तन के न्यासी बोर्ड में उक्त तालिका के कालम (1) में उल्लिखित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाना है।

तालिका

प्रतिनिधित्व किए जाने वाले हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	2
पत्तन में नियोजित श्रमिक	2
सीमाशुल्क विभाग	1
तट रक्षक	1
भारतीय रेल	1
गुजरात सरकार	1
पोत परिवहन मंत्रालय	1
मर्केनटाइल मैरीन विभाग	1
अन्य हित	4
जोड़	12

[फा. सं. पी टी-18011/11/2001-पी टी]

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2002

G.S.R. 389 (E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 321(E) dated 6th April, 2000, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the table below to be appointed to represent the interests mentioned in column (1) of the said table on the Board of Trustees of the Port of Kandla.

TABLE

Interest to be represented	Number of persons to be appointed
1	2
Labour employed in the Port	2
Department of Customs	1
Coast Guard	1
Indian Railways	1
Govt. of Gujarat	1
Ministry of Shipping	1
Mercantile Marine Department	1
Other Interests	4
Total	12

[F. No. PT-18011/11/2001-PT]

R. K. JAIN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2002

सा.का.नि. 390(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (ii) के प्रावधानों के अनुसरण में और भारत सरकार, तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की दिनांक 6 अप्रैल, 2000 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 322 (अ) का अधिक्रमण करते हुए एतद्द्वारा निम्न तालिका के कालम (3) में उल्लिखित उन व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करती है जिन्हें कांडला पत्तन के न्यासी बोर्ड में उक्त तालिका के कालम (2) में उल्लिखित प्रत्येक हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाना है।

तालिका

क्रम सं.	हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	पोत वणिक	2
2.	अन्य हित	3
	जोड़	5

2. केन्द्र सरकार, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 4 के अनुसरण में एतद्द्वारा 15 जून, 2002 को समाप्त अवधि को ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर न्यासियों का चुनाव कर लिया जाएगा।

[फा. सं. पी टी-18011/11/2001-पी टी]

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2002

G.S.R. 390 (E).—In pursuance of provisions of sub-clause (ii) of clause (c) of Sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Ports wing) No. G.S.R. 322(E) dated 6th April, 2000, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (3) of the Table below to be appointed to represent each of the interests shown in column (2) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Mandla.

TABLE

Sl. No.	Interests	Number of persons to be appointed
(1)	(2)	(3)
1.	Shippers	2
2.	Other Interests	3
	Total	5

2. In pursuance of the sub-section (4) of Section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 15th June, 2002 as the period within which the election of Trustees shall be held.

[F. No. PT-18011/11/2001-PT]
R. K. JAIN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2002

सा.का.नि. 391(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम सं. 1 से 6 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को कांडला पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासी नियुक्त करती है अर्थात् :—

तालिका

1.	प्रधान अधिकारी, एम एम डी, कांडला	मर्केन्टाइल मैरीन विभाग, कांडला का प्रतिनिधित्व करने के लिए
2.	क्षेत्रीय प्रबंधक, गांधीधाम, पश्चिम रेलवे	रेल मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए
3.	श्री प्रेम भाई लालवाणी, प्लाट नं. 254, वार्ड-2बी, आदिपुर, गांधीधाम-370201	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (i) के अंतर्गत अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए
4.	श्री मदनलाल जी नाहटा, चिराग साल्ट वर्क्स, बी बी जेड-एस-46, जवाहर चौक, पी.बी. नं. 25, गांधीधाम (कच्छ)	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (i) के अंतर्गत अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए
5.	श्री अरुण बच्छारजनी, 67, मारुति कॉटेज, संस्कार नगर, भुज, कच्छ, गुजरात	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (i) के अंतर्गत अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए
6.	श्री अजय कुमार सुरेशचन्द्र रावल, "सौरभ" बी-34, एनयू-10-बी, शक्ति नगर, गांधीधाम, कच्छ	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (ii) के अंतर्गत गांधीधाम वाणिज्य और उद्योग मंडल (पोत वणिक) का प्रतिनिधित्व करने के लिए

[फा. सं. पी टी-18011/11/2001-पी टी]
आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2002

G.S.R. 391 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with Sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial

numbers 1 to 6 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Kandla, namely :—

TABLE

1. Principal Officer, MMD, Kandla	Representing Mercantile Marine Department Kandla.
2. Area Manager, Gandhidham, Western Railway.	Representing Ministry of Railways.
3. Shri Prembhai Lalwani Plot No. 254, Ward No. 2B, Adipur, Gandhidham-370201.	Representing other Interests under sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of Major Port Trusts Act, 1963.
4. Shri Madanlal G. Nahta, Chirai Salt Works, BBZ-S-46, Jawahar Chowk, P.B. No. 25, Gandhidham (Kutch).	Representing other Interests under sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of Major Port Trusts Act, 1963.
5. Shri Arun Bachharajani, 67, Maruty Cottage, Sanskar Nagar, Bhuj, Kutch, Gujarat.	Representing other Interests under sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of Major Port Trusts Act, 1963.
6. Shri Ayaykumar Sureshchandra Raval, "Saurabh" B-34, NU-10-B, Shakti Nagar, Gandhidham Kachchh.	Representing Gandhidham Chamber of Commerce and Industy (Shippers) under sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of Major Port Trusts Act, 1963.

[F. No. PT-18011/11/2001-PT]

R. K. JAIN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.